



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 12.10.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 138/25 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. का 12 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई साईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.10.2025 को थाना बानैली पर वादी श्री मुकेश महतो पुत्र लक्ष्मी महतों ग्राम परसौनी, थाना बैरगानिया, जिला सीतामढी, बिहार हाल किरायेदार करबा बडौत के द्वारा तहरीर दी कि वादी फेरी लगाकर साईकिल बेचने का काम करता है । दिनांक 12.10.2025 को एक मो0सा0 पर दो व्यक्ति आये और साइकिल खरीदने की बात कहते



हुए ट्राइ करने को कहने लगे तब ट्राइ करने के बहाने बेईमानी से उसकी साइकिल चुरा कर ले गये । इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 138/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 138/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस का 12 घण्टे में

सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक साईकिल बरामद हुई है।
उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र ब्रह्म सिंह उर्फ बिरमू निवासी ग्राम कहरका थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक साईकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सोनू सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-है०का० 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-है०का० 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।

